FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मांगीलाल बनाम केशाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रेवेन्यू 88,188 रिट एक्ट नं. 79/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/4/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रतनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 रिट एक्ट राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/05/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/05/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाब-दावा पेश किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1-मांगीलाल पुत्र श्री केसाराम जाति-मेघवाल निवासी-ईसरामाणियों की ढाणी परबत मण्डल पुनियों का तला तहसील-गिड़ा व स्वतंत्र गवाह PW-2-भूराराम पुत्र श्री कुलाराम जाति-मेघवाल निवासी-लहुमणिया नाडिया तहसील-गिड़ा के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादी	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर मांगीलाल केसाराम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	संख्या-2 से 43 को वादी वकील द्वारा नहीं किया गया जिनमें कोई विरोध प्रकट की इस्तदुआ नहीं चाही गई है वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय मिसल से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर रजिस्टर हो, दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर
19/08/2022	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र पत्रावली पेश तलब कर संशोधित आदेश निर्णय व डिग्री पर्चा जारी करने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रा० वाद संख्या-79/22 उनवान-मांगीलाल व० केसाराम वगैरह में निर्णय व डिग्री पर्चा जारी करते समय निर्णय में मौजा-उडरामाटियों की ढाणी पटवार मण्डल-ढुनियाड़ी का तला तहसील-गिड़ा के ख० नं०-674 रकबा-66.4331 हैक्टेयर दर्ज करने से वंचित रह गया इसलिए उक्त मौजा व खसरा नम्बर का अंकन करते हुए संशोधित निर्णय व डिग्री पर्चा जारी किया जावें। अतः वादी वकील द्वारा प्रस्तुत

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिग्री पर्चा जारी किये जाने का आदेश किया जाता है। संशोधित ~~डिग्री~~ निर्णय व डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 79 / 2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र केसााराम, जाति– मेघवाल, निवासी– उदरामाणियों की ढाणी, पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र वीरमाराम, 2. केवलराम पुत्र वीरमाराम, 3. उकाराम पुत्र वीरमाराम, 4. खरथाराम पुत्र वीरमाराम, 5. अमियोदेवी पत्नी चेतनराम, 6. खेताराम पुत्र चेतनराम, 7. बाबुराम पुत्र चेतनराम, 8. खेराजराम पुत्र पांचाराम, 9. गेनी देवी पत्नी पांचाराम, 10. शेराराम पुत्र पांचाराम, 11. हेमाराम पुत्र पांचाराम, 12. गुणेशाराम पुत्र रामचन्द्रराम, 13. तगाराम पुत्र रामचन्द्रराम, 14. पूनमाराम पुत्र रामचन्द्रराम, 15. पेमीदेवी पत्नी रामचन्द्रराम, 16. भंवराराम पुत्र रामचन्द्रराम, 17. चैलाराम पुत्र अमराराम, 18. सरदारााराम पुत्र अमराराम, 19. चिमाराम पुत्र मगाराम, 20. देवाराम पुत्र मगाराम, 21. बनाराम पुत्र मगाराम, 22. भंवरीदेवी पत्नी मगाराम, 23. जगुराम पुत्र तेजाराम, 24. जेतीदेवी पत्नी पदमाराम, 25. दलाराम पुत्र पदमाराम, 26. तुलछाराम पुत्र मंगलाराम, 27. धनाराम पुत्र मंगलाराम, 28. बाबूराम पुत्र मंगलाराम, 29. लूणाराम पुत्र मंगलाराम, 30. टीकमाराम पुत्र अचलाराम, 31. हेमाराम पुत्र अचलाराम, 32. तुलसाराम पुत्र धनाराम, 33. मगीदेवी पत्नी धनाराम, 34. लाधाराम पुत्र धनाराम, 35. तीडीदेवी पत्नी गोरधनराम, 36. हमीराराम पुत्र गोरधनराम, 37. द्वारकाराम पुत्र बींजाराम, 38. पन्नाराम पुत्र बींजाराम, 39. पूराराम पुत्र बींजाराम, 40. सुखीदेवी पत्नी बींजाराम,

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

41. मुकनाराम पुत्र गुमनाराम,
42. लुणीदेवी पत्नी जोगाराम,
43. देवाराम पुत्र जोगाराम,
जाति– मेघवाल, निवासी–
उदरामाणियों की ढाणी, पूनियों का
तला, तहसील–गिडा, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

–: **संशोधित निर्णय** :– दिनांक : 19/08/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा सवाऊ पदमसिहं पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 271, 610, 679/271 रकबा क्रमशः 14.9572, 23.1965, 7.6647 हैक्टेयर व मौजा उदरमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 674 रकबा 66.4331 हैक्टयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1, पूर्वज वीरमाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं मांगीलाल पुत्र केसाराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला– बाड़मेर

भुराराम पुत्र बुलाराम का शपथ पत्र PW 2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज वीरमाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सवाऊ पदमसिहं पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 271, 610, 679/271 रकबा क्रमशः 14.9572, 23. 1965, 7.6647 हैक्टेयर व मौजा उदरमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 674 रकबा 66.4331 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 19/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र केसाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– उदरामाणियों की ढाणी, पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र वीरमाराम वगैरह जाति– मेघवाल, निवासी– उदरामाणियों की ढाणी, पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 79/2022. **निर्णय दिनांक :–**

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19/08/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सवाऊ पदमसिहं पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 271, 610, 679/271 रकबा क्रमशः 14.9572, 23.1965, 7.6647 हैक्टेयर व मौजा उदरमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 674 रकबा 66.4331 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु
जिला – बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	